सत्यमेव जयते
Web Copy Not

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **181/2016** दायर दिनाँक **23.12.2016**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरजभान पुत्र तिलोकाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. ओंकार पुत्र अमराराम, जाति–जाट, निवासी–तेतड़ों की ढाणी, ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपादेवी पत्नी हुक्माराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. श्रवण पुत्र हुक्माराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तिलोकाराम पुत्र प्रेमाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. कमला पत्नी हेमाराम, जाति–जाट, निवासी–तेतड़ों की ढाणी, ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. अमरचन्द पुत्र चुन्नीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. रामनिवास पुत्र लालाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. परमादेवी पत्नी रामकरण, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. अमराराम पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		9. रामेश्वरलाल पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. रामनिवास पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री समन्दरसिंह नाथावत, श्री राजेन्द्रकुमार माथुर व श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **29.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा है। इस भूमि की वर्तमान खातेदारी रूपादेवी, श्रवण व श्रवण के भाई मनोहर व प्रतिवादी कमला के नाम से देने को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा की वर्तमान खातेदारी वादी सुरजभान, प्रतिवादी रूपादेवी, श्रवण, अमरचन्द, तिलोकाराम तथा सांवरमल, लक्ष्मीनारायण, मनोहर, टोडाराम के नाम से दर्ज है। नकलें पेश है।

खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा में से मनोहर ने अपना सम्पूर्ण सम्भावित हिस्सा दिनाँक 07.09.2015 को वादी संख्या 01 सुरजभान को विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया तथा लक्ष्मीनारायण ने अपने सम्पूर्ण सम्भावित हिस्से की भूमि का बैचाण प्रतिवादी नम्बर 04 कमला को दिनाँक 05.08.2016 को बेच दी। उक्त खेत खसरा संख्या 146 में से रूपादेवी व श्रवण 1/4, 1/4 हिस्सों पर काबिज है तथा इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा वाकै शरहद ललासरी के खातेदार लक्ष्मीनारायण ने अपने हिस्से की 1/4 भूमि अर्थात् 10.14 बीघा में से 20/1319 अर्थात् 01 बीघा वादी नम्बर 01 सुरजभान को जरिये विक्रय–पत्र दिनाँक 09.03.2015 को व लक्ष्मीनारायण ने वादी नम्बर 01 सुरजभान को 41/856 अर्थात् 02.01 बीघा का बैचाण दिनाँक 21.05.2015

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

को लक्ष्मीनारायण ने अपने हिस्से में से 92/856 अर्थात् 04.12 बीघा भूमि वादी नम्बर 01 सुरजभान को दिनाँक 21.12.2015 को जरिये रजिस्ट्री बैचाण कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया। इस प्रकार वादी नम्बर 01 ने लक्ष्मीनारायण से कुल 07.13 बीघा खरीदकर काबिज है तथा लक्ष्मीनारायण ने 20/856 अर्थात् 01 बीघा भूमि का बैचाण सांवरमल को दिनाँक 21.05.2015 को कर दिया तथा सांवरमल से उक्त 01 बीघा भूमि प्रतिवादी अमरचन्द ने जरिये रजिस्ट्री खरीद ली, लक्ष्मीनारायण से उसके हिस्से की 02.01 बीघा भूमि प्रतिवादी अमरचन्द ने खरीद ली, इस प्रकार कुल 03.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 05 अमरचन्द के बन्ट व कब्जाकाश्त में आयी हुई है। वादी नम्बर 01 सुरजभान से दिनाँक 09.03.2015, 21.05.2015 व 21.12.2015 की खरीदी गयी कुल 07.13 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादी नम्बर 08 ता 10 को जरिये रजिस्ट्री के दिनाँक 17.03.2016 को कर दिया। अब लक्ष्मीनारायण के पास कोई जमीन नहीं बची है।

खेत खसरा नम्बर 144 के खातेदार मनोहन ने अपना सम्पूर्ण सम्भावित हिस्सा 1/4 भाग अर्थात् 10.14 बीघा वादी नम्बर 01 को दिनाँक 19.08.2015 को बैचाण कर दी व वादी नम्बर 01 ने इसमें से 20/856 अर्थात 01 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादी नम्बर 06 को कर दी व 01 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादी संख्या 07 को दिनाँक 02.01.2016 को कर दिया व शेष पश्चिम की 08.14 बीघा भूमि वादी संख्या 01 के कब्जाकाश्त में है।

इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 02 श्रवण ने उक्त खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 42.16 बीघा में से अपने 1/4 हिस्से में से 41/856 अर्थात् 02.01 बीघा भूमि पूर्व क्रेता टोडाराम को दिनाँक 21.12.2015 को जरिये रजिस्ट्री बैचाण कर दी। टोडा ने औंकार को दिनाँक 25.01.2016 को बेच दी तथा शेष 08.13 बीघा भूमि प्रतिवादी श्रवण के कब्जाकाश्त की है।

इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा में से 23.03 बीघा की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि टोडाराम पुत्र प्रेमाराम ने प्रतिवादी नम्बर 03 तिलोकाराम को जरिये रजिस्ट्री बैचाण कर दी तथा खसरा नम्बर 146 में से 1/4 हिस्सा वादी सुरजभान, 1/4 हिस्सा कमलादेवी, 1/4 हिस्सा श्रवण व 1/4 हिस्सा रूपादेवी के कब्जाकाश्त में है। इसे वादीगण ने नजरीनक्शा में दर्शाया है। नजरीनक्शा पेश है।

वादी नम्बर 01 नजरीनक्शा में दर्शाये अनुसार अपने बन्ट में आये 08.14 बीघा भूमि में खजड़ियां छांग कर मुरड़ा रगा रखा है व इस वर्ष मूंग की फसल थी। प्रतिवादी रूपादेवी के हिस्से की 10.14 बीघा भूमि में मूंग व बाजरा की काश्त की थी।

इसी प्रकार प्रतिवादी श्रवण के 08.13 बीघा भूमि के उसने मूंग व बाजरा की फसल बोई थी। प्रतिवादी तिलोकाराम के हिस्से में रिहायसी 02 छानें बनी हुई है जिसमें परिवार रहता है इसी प्रकार आपसी सहमति से हुए बन्ट में पक्षकारान् काबिज है। वादीगण अपने क्रय सुदा भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाने के हकदार है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विक्रय–पत्रों के आधार पर खातेदार दर्ज नहीं हुई है तथा उक्त खेतों के खातेदार मनोहर, लक्ष्मीनारायण, टोडाराम, सांवरमल अपने हिस्से की जमीन अन्य पक्षकारान् को बेच चुके हैं। इसलिए इनके नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

उक्त खरीद की हुई भूमि व बन्ट में रही भूमि जमीन पर पक्षकारान् अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है। कुछ पक्षकारों ने निर्माण भी कर रखा है। कानूनी बन्टवारा नहीं होने से खींचातान रहती है। जिन पक्षकारान् के बन्ट में सड़क पर जमीन बन्ट में नहीं आयी है वे लालच के कारण आये दिन पक्षकारान् को परेशान करते हैं। इसलिए दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मन में लालच आ गया है वे बेदखल करने पर तुले हुए है। अगर प्रतिवादीगण इसमें सफल हो गये तो वादीगण को अजहद नुकशान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

राज्य सरकार के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही है इसलिए दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। मगर लैण्ड होल्डर होने से ही तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 18.12.2016 को प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 द्वारा बेदखली की धमकी देने व दिनाँक 19.12.2016 को नकल जमाबन्दी लेने से बमुकाम ललासरी पैदा हुआ।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा का कानूनी रूप से बन्टवारा किया जाकर वाद वर्णितानुसार व नजरीनक्शा में दर्शाए अनुसार किया जाकर वादीगण का अलग खाता किया जावे व खातेदारी घोषित की जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", जमाबन्दी ग्राम ललासरी सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 5/42 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम ललासरी सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 181/78 तथा 199/158 की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय–पत्र (विक्रेता– सुरजभान पुत्र तिलोकाराम, क्रेता– रामनिवास, विक्रीत रकबा 01 बीघा) क्रमांक 1619 दिनाँक 22.01.2016 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र (विक्रेता– सुरजभान पुत्र तिलोकाराम, क्रेता– परनादेवी पत्नी रामकरण, विक्रीत रकबा 01 बीघा) क्रमांक 1618 दिनाँक 22.01.2016 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र (विक्रेता– मनोहर पुत्र हुक्माराम, क्रेता– सुरजभान सियाक पुत्र तिलोकाराम, विक्रीत रकबा 06.03 बीघा में से 1/4 भाग) क्रमांक 1945 दिनाँक 16.03.2016 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र (विक्रेता– सुरजभान पुत्र तिलोकाराम, क्रेता– अमराराम रामेश्वरलाल व रामनिवास खाखल पुत्र मूलाराम) क्रमांक 1646 दिनाँक 16.03.2016 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र (विक्रेता– लक्ष्मीनारायण पुत्र हुक्माराम, क्रेता– अमरचन्द पुत्र चुन्नीलाल) दिनाँक 22.01.2016 की छायाप्रति, पुलिस थाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मौलासर द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना को प्रेषित पत्रांक 3451 दिनाँक 05.11.2017 व संलग्नकों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 442244172765 नाम श्रवण की स्वप्रमाणित छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 692031622703 नाम रूपा की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ड्राइविंग लाईसेन्स क्रमांक RJ 37 20090019296 नाम सुरजभान सियाक की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाईसेन्स क्रमांक RJ 37 20090023084 नाम ओंकार चौधरी की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 11 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से श्री समन्दरसिंह नाथावत, श्री राजेन्द्रकुमार माथुर व श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया।

प्रकरण में प्राथमिक निर्णय हुआ। तहसीलदार डीडवाना ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश हुई। उक्त आपत्ति पर जवाब प्रार्थीगण मांगे गये।

वाद में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जरिये अधिवक्तागण के राजीनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री हीरसिंह बलारा द्वारा की गयी तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री राजेन्द्रकुमार माथुर ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

शरहद लालासरी के खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा में से, नजरीनक्शा अनुसूची "ब" में दर्शित अनुसार, रकबा 04.04 बीघा पश्चिमी भाग भूमि, रकबा 02.10 बीघा पूर्वी मध्य भाग भूमि का वादी संख्या 01 को, रकबा 01.19 बीघा भूमि, रकबा 09.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को, रकबा 08.00 बीघा व रकबा 02.02 भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को, रकबा 03.00 बीघा भूमि का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 05 को, रकबा 07.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, रकबा 23.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 02.00 बीघा वादी संख्या 02 को खातेदार घोषित किया जावे तथा रकबा 0.07 बीघा सामलाती रास्ता रखा जावे।

शरहद ललासरी में खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा में से, नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्शित अनुसार, रकबा 01.11 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को, रकबा 03.12 बीघा का वादी संख्या 01 को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। पक्षकारान् जरिये अधिवक्तागण, राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने पर सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने प्रकरण में राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र, पत्रावली पर उपलबध रिकॉर्ड व पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्शित अनुसार किया जाकर, शरहद ललासरी में निम्न खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा में से**, रकबा **04.04** बीघा पश्चिमी भाग भूमि, रकबा **02.10** बीघा पूर्वी मध्य भाग भूमि का वादी संख्या 01 को, रकबा **01.19** बीघा भूमि, रकबा **09.04** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को, रकबा **01.00** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को, रकबा **01.00** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को, रकबा **08.00** बीघा व रकबा **02.02** भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को, रकबा **03.00** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को, रकबा **07.10** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, रकबा **23.03** बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को रकबा **02.00** बीघा वादी संख्या 02 को **स्वतन्त्र खातेदार**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–181 / 2016
दायर दिनाँक 23.12.2017, निर्णय दिनाँक 29.11.2017
सुरजभान, वगैरा बनाम् रूपादेवी, वगैरा।

काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी खसरे में से रकबा **0.07** बीघा भूमि **सामलाती रास्ता हेतु घोषित की जाती है।**

2. **खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा में से,** रकबा **01.11** बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को, रकबा **03.12** बीघा का वादी संख्या 01 को व रकबा **01.00** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को **स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है**।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **181 / 2016** दायर दिनाँक **23.12.2016**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरजभान पुत्र तिलोकाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. ओंकार पुत्र अमराराम, जाति–जाट, निवासी–तेतड़ों की ढाणी, ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपादेवी पत्नी हुकमाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. श्रवण पुत्र हुकमाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तिलोकाराम पुत्र प्रेमाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. कमला पत्नी हेमाराम, जाति–जाट, निवासी–तेतड़ों की ढाणी, ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. अमरचन्द पुत्र चुन्नीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. रामनिवास पुत्र लालाराम, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. परमादेवी पत्नी रामकरण, जाति–जाट, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. अमराराम पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. रामेश्वरलाल पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा),

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. रामनिवास पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी–पुरोहितों का बास (तेजपुरा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनॉक **29.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी तथा श्री समन्दरसिंह नाथावत, श्री राजेन्द्रकुमार माथुर व श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "ब" में दर्शित अनुसार किया जाकर, शरहद ललासरी में निम्न खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. <u>खसरा नम्बर 144 रकबा 65.19 बीघा में से</u>, रकबा 04.04 बीघा पश्चिमी भाग भूमि, रकबा 02.10 बीघा पूर्वी मध्य भाग भूमि का वादी संख्या 01 को, रकबा 01.19 बीघा भूमि, रकबा 09.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को, रकबा 08.00 बीघा व रकबा 02.02 भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को, रकबा 03.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को, रकबा 07.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, रकबा 23.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को रकबा 02.00 बीघा वादी संख्या 02 को **स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** इसी खसरे में से रकबा 0.07 बीघा भूमि **सामलाती रास्ता हेतु घोषित की जाती है।**

2. <u>खसरा नम्बर 146 रकबा 06.03 बीघा में से</u>, रकबा 01.11 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को, रकबा 03.12 बीघा का वादी संख्या 01 को व रकबा 01.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को **स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "ब", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(सहायक) कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner